न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर

अपील संख्या	रजि0नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/06/2023	2023/10	01—02—2023	11—12—2024

1. रमेश,
2. राजवीर,
3. सतवीर पुत्रान पूरण,
4. प्रदीप पुत्र रामसिंह,

समस्त जातियान यादव निवासीयान यादव नगर, खिलौरा तह0 रामगढ जिला अलवर।

—अपीलाण्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार रामगढ जिला अलवर (राज0)

——रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध तहसीलदार रामगढ
निर्णय दिनांक 30.12.2022

उपस्थितः—
01—श्री कैलाश चन्द शर्मा —वकील अपी०
02—राजकीय अभिभाषक —वकील रेस्पो०

—:निर्णयः—

अपीलान्ट्स ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रामगढ के आदेश दिनांक 30.12.2022 जिसके द्वारा अपीलान्ट्स को आ0ख0नं0 1901 रकबा 0.20 है0 वाके ग्राम यादव नगर तह0 रामगढ से बेदखल किये जाने व 170 रूपये बतौर शास्ति वसूल किये जाने व 3 माह के सिविल कारावास का आदेश दिया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है। अपील अपीलान्ट्स दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकार्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलाण्ट्स ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है कि अपील हाजा आदेश तिथि दिनांक 30.12.2022 का है। जिसकी जानकारी हम अपीलार्थीगण को पूर्व मे नहीं थी। अपीलार्थीगण को उक्त विवादित आदेश की जानकारी पटवारी हल्का के माध्यम से 21.01.2023 को तब हुई जब पटवारी हल्का मौके पर पहुंचकर हम अपीलार्थीगण को उक्त विवादित आदेश के बारे मे बतलाते हुए हमे बेदखल करने की धमकी दी तथा शास्ति जमा करने के लिए कहां । जिस पर विवादित आदेश की नकल हेतु दिनांक 23.01.2023 को आवेदन पत्र पेश किया तथा दिनांक 24.01.2023 को विवादित आदेश की नकल प्राप्त कर, कानूनी मशवरा वकील साहब से प्राप्त किया तथा लिखा पढ़ी कराई जाकर आज अपील श्रीमान न्यायालय मे पेश की जा रही हैं। विवादित आदेश श्रीमान नायब तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर का है । जिससे अपील को सुनने का न्यायक्षेत्र माननीय अदालत हाजा को प्राप्त है। तहत अदालत ने अपनी आज्ञा सादिर फरमाने से पूर्व कोई जांच नही की एवं ना ही पटवारी हल्का के बयान रिकोर्ड किये और ना ही अपीलार्थीगण को उससे जिरह करने का मौका सादिर फरमाया एवं ना ही अपीलार्थीगण को अपनी ओर से दस्तावेजात पेश करने व गवाहान को पेश करने का मौका सादिर फरमाया गया। जिससे अपीलार्थीगण का केस गम्भीर रूप से प्रभावित हुआ है। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य व तथ्यों से विवादित आराजी पर अपीलार्थीगण का कब्जा बतौर नाजायज कब्जा होना कतई जाहिर वो साबित नही पाया जाता है। विवादित आराजी साबिक खसरा न० 1333 रकबा 5 बीघा 3 बिस्वा हाल खसरा नम्बर 1900 रकबा 0. 25 है0, 1901 रकबा 0.20 है0, 1902 रकबा 0.20 है0, 1903 रकबा 0.65 है० वाके ग्राम

11/12/24
अ। जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

यादव नगर (खिलौरा), तहसील रामगढ जिला अलवर को अपीलार्थीगण के बुजुर्गान द्वारा जरिये इकरानामा दिनांक 29.04.1981 के खरीद की गई थी। जिस पर बाद खरीद अपीलार्थीगण के बुजुर्ग काबिज रहे तथा अपीलार्थीगण के बुजुर्ग के पश्चात अपीलार्थीगण व उनके अन्य वारिसान काबिज दाखिल चले आ रहे हैं, किन्तु तहत अदालत ने गौर नही फरमाया। अपीलार्थीगण व उनका परिवार को रिहायश के लिए अन्य कोई मकानात नही है। इन आराजी पर अपीलार्थीगण के बुजुर्गान व अपीलार्थीगण गत 42 सालों से निवास कर रहे है और यदि अपीलार्थीगण को बेदखल कर दिया गया तो अपीलार्थीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी तथा स्थिति मौका तब्दील हो जावेगी तथा अपीलार्थीगण तबाह वो बर्बाद हो जावेगे। जिस कारण भी विवादित भूमि अपीलार्थीगण के हक मे विनियान फरमाये जाने योग्य है। जो काबिले गौर श्रीमान है। तहत न्यायालय तहसीलदार रामगढ द्वारा विवादित आदेश में वर्णित किया हैं कि अपीलार्थीगण को पूर्व में विवादित आराजी गत वर्ष भी अतिक्रमण से बेदखल किये जाने के आदेश पारित किये गये थे जबकि तहत न्यायालय ने अपने आदेश में हम अपीलार्थीगण को गत वर्ष किस आदेश के तहत बेदखल किया गया। इस संबंध में ना तो कोई पत्रावली संख्या अंकित किया और ना ही गत वर्ष बेदखल किये जाने की तारीख का वर्णन किया गया हैं। विवादित आदेश तहत न्यायालय का प्रथम आदेश हैं। कानूनन अपीलार्थीगण को प्रथम आदेश में सिविल कारावास से दण्डित नहीं किया जा सकता। जिससे तहत न्यायालय का विवादित आदेश काबिले अपास्त हैं। उक्त विवादित आदेश तहत अदालत द्वारा एक पक्षीय रूप से पारित किया है। कि जिससे उक्त विवादित आदेश काबिले अपास्त है। उक्त विवादित आदेश तहत अदालत द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनायें तथा प्राकृतिक वो न्यायिक सिद्धान्तो के विरूद्ध पारित किया है। कि जिससे उक्त विवादित आदेश काबिले अपास्त है। तहत अदालत द्वारा उक्त विवादित आदेश पारित करने से पूर्व मिन अपीलार्थी को सम्यक् रूप से तलब करना चाहिए था। मिन अपीलार्थी पर कोई सम्यक् रूप से तामील नही करायी गयी। अपीलार्थीगण उक्त वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1902 रकबा 0.20 है० पर अतिकमी नही है। बल्कि उक्त आराजी अपीलार्थी के बुजुर्गो की मौरूसी जायदाद रही है कि जिस पर मिन अपीलार्थीगण अपने बुजुर्गो के समय से ही काबिज दाखिल चले आ रहे है। अपीलार्थीगण 42 वर्षों से अधिक समय काबिज रहकर अपने परिवार सहित काबिज रहते चले आ रहे हैं। इसलिए कानूनन अपीलार्थीगण को विवादित आराजी पर मालिकाना हक प्राप्त हो चुके है। अब अपीलार्थीगण अतिकर्मी नहीं हैं। अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी पर कतई अतिकमी नही है। बेजा अतिकमी घोषित किया है। तहत अदालत द्वारा उक्त विवादित आदेश पारित करने से पूर्व मिन अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करना चाहिए था। तहत अदालत के निर्णय से ज्ञात हुआ है कि पटवारी हल्का द्वारा मिन अपीलार्थीगण के विरूद्ध अतिक्रमण बाबत जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। कि जो मौके कब्जे व विधि के विरूद्ध पेश की गयी है। अतः अपील हाजा पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाया जाकर आज्ञा जेर अदालत तहसीलदार रामगढ जिला अलवर दिनांक 30.12.2022 निरस्त फरमाने की कृपा करें।

रेस्पो0 की ओर से विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में अपील वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत एवं नियमानुसार निर्णय किया गया है। अतः निवेदन किया गया कि अपील अपी0 खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों एवं पटवारी हल्का खिलौरा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपी0 द्वारा अतिक्रमण बावत् कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया गया है। रिपोर्ट पटवारी व रिकॉर्ड के अनुसार खसरा नंबर 1901 रकबा 0.20 हैक्टेयर किस्म चाही–2 दर्ज रिकॉर्ड है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का खिलौरा अपीलाण्ट द्वारा उक्त आराजी खसरा नंबर 1901 रकबा 0.20 हैक्टेयर किस्म चाही–2 में से 0.20 है0 भूमि पर अवैध रूप से गेंहू काश्त कर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर कब्जा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी व भू0अ0नि0 के बयान के अनुसार अपी0 द्वारा उक्त मंदिर माफी भूमि पर फसल खरीफ संवत 2079 में भी अतिक्रमण

11.12.24

किया गया था। अतः स्पष्ट है कि अपी0 द्वारा उक्त मंदिर माफी भूमि पर किया गया अनाधिकृत अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। अतः अपील अपी0 अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ का निर्णय दिनांक 30.12.2022 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को उनके रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)